385

उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग–1, संख्या ...../IV(1)2014-1(41)2012 देहरादून दिनॉक 🛵 जनवरी, 2014

## अनंतिम अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) सपिठत 'मारत का संविधान' के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करके जिला टिहरी गढ़वाल के, नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ढालवाला में लघुत्तर नगरीय स्वरूप विद्यमान होने के फलस्वरूप नगर पंचायत मुनिकीरेती में सिम्मिलित करते हुए, नगर पंचायत मुनिकीरेती को नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती के रूप में उच्चीकृत किये जाने के लिए, जिस अधिसूचना को अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव करते हैं, के संबंध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के आलोक में समस्त संबंधित व्यक्तियों की सूचना तथा इस संबंध में उनके सुझाव तथा आपित्त प्राप्त किये जाने हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव एवं आपित हों, वह लिखित रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून, 43/2 माता मंदिर मार्ग, अजबपुरकलां, धर्मपुर देहरादून (दूरमाष संख्या— 01352679541, फैक्स संख्या 0135—2669542) को सम्बोधित करके प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपित्तयों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 07 दिन के भीतर प्राप्त होंगें।

## अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916)(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) सपिटत भारत का संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शिक्त का प्रयोग करके जिला टिहरी गढ़वाल के नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ढालवाला में लघुत्तर नगरीय स्वरूप विद्यमान होने के फलस्वरूप नगर पंचायत मुनिकीरेती में सिम्मिलित करते हुए, नगर पंचायत मुनिकीरेती को नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती के रूप में अधिसूचित किये जाने से पूर्व संविधान के भाग 9 क के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती—ढालवाला के नाम से गिटत किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित सार्वजनिक सूचना संख्या .............................../IV(1)2014-1(41)2012 दिनॉक.......जनवरी, 2014 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत मुनिकीरेती के वर्तमान प्रादेशिक क्षेत्र में सिम्मिलित करने के उपरांत समस्त क्षेत्र प्रस्तावित नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती—ढालवाला का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

## अनुसूची-एक

क्र0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	खसराओं का विवरण
01	ढालवाला	ग्राम ढालवाला के समस्त खसरा संख्या

(एम०एच०खान) प्रमुख सचिव।

संख्या ...../IV(1)2014-1(41)2012 तद्दिनॉक(पंजीकृत पत्र)

प्रतिलिपि निदेशक, मुदण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25–25 प्रतियाँ जिलाधिकारी हरिद्वार, निदेशक शहरी विकास विभाग देहरादून एवं प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह) उप सचिव।

## संख्या ........../IV(1)2014-1(41)2012 तद्दिनॉक(पंजीकृत पत्र)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, पंचायती राज विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड।
- 3— निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों को निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस को संकलित कर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
- 4- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6— निर्देशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड12 ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को जिला टिहरी गढ़वाल के मुनिकीरेती—ढालवाला क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले 02 हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 7— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने कार्यालय में तथा संबंधित स्थानीय क्षेत्र के भीतर या उससे आसन्न एक या या अधिक प्रमुख स्थानों पर उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को सर्वसाधारण के सूचनार्थ चिपकवाने का कष्ट करें।
- 8- जिला पंचायती राज विभाग, टिहरी गढ़वाल-नरेन्द्रनगर।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी०,देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

(ओमकार सिंह) उप सचिव।